


चाहते हैं अपसर दिया जावें आपकी
पत्रिका वादी साक्ष्य दिनांक 19/01/18 को पेश
के




सहायक कलक्टर,
S.D.O. मिरात

19/01/18

पत्रिका


वादी पक्षील उपस्थित । प्रतिकदीगण अनुपस्थित
वादी साक्ष्य P.W. 1 कानाराम का जमान
कलमण्डु किया गया वादी पक्षील अन्य
कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं
वादी साक्ष्य बन्द किया जाता है वादी
पक्षील को एक पक्षीय बलस सुनी गई
पत्रिका वादी साक्ष्य दिनांक 02/02/18 को
पेश के



सहायक कलक्टर,
S.D.O. मिरात

02/02/18

पत्रिका आज पेश हुई वादी पक्षील उपस्थित
प्रतिकदीगण अनुपस्थित । वादी का वाद स्वीकार
किया जाता है विस्तृत आदेश अलग से लिखा
जाकर सुनाया जाकर समिला पत्रिका किया
गया । नदसीलदार समदरी के प्राथमिक रिफ्री
जाबत बहरीर जारी है पत्रिका ~~पत्रिका~~ प्राथमिक
रिफ्री की पाबना पर पुनः पेश है



सहायक कलक्टर,
S.D.O. मिरात

प्राथमिक डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाखा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर)
बइजलास श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस.

वादीगण:-

कानाराम पुत्र श्री सवाराम जाति मेणा निवासी रातडी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (राज.)
बनाम

प्रतिवादीगण

1. आसाराम पुत्र भीमाराम जाति मेणा
2. उकाराम पुत्र भीमाराम जाति मेणा
3. वागाराम पुत्र भीमाराम जाति मेणा
4. मांगाराम पुत्र भीमाराम जाति मेणा
5. झमु पत्नी आसाराम जाति मेणा
6. सोनी पत्नी उकाराम जाति मेणा
7. दरियादेवी पत्नी वागाराम जाति मेणा
8. रेखादेवी पत्नी मांगाराम जाति मेणा
9. शंकरराम पुत्र फुत्ताराम जाति मेणा
10. अमराराम पुत्र नारायणराम जाति मेणा
11. निम्बाराम पुत्र नारायणराम जाति मेणा
12. चम्पादेवी पत्नी नारायणराम जाति मेणा
13. लखाराम पुत्र राणाराम जाति मेणा
14. गीठाराम पुत्र राणाराम जाति मेणा
15. रणछोड पुत्र राणाराम जाति मेणा
16. मादाराम पुत्र राणाराम जाति मेणा
17. बाबरराम पुत्र नरसाराम जाति मेणा
18. कुम्पाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेणा
19. दीपाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेणा
20. धन्नाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेणा
21. राधादेवी पत्नी पुरखाराम जाति मेणा
22. कनीया पत्नी हिम्मताराम जाति मेणा निवासीयान रातडी तहसील बाड़मेर (राज.)
23. एस.बी.आई शाखा खण्डप तहसील समदडी जिला बाड़मेर
24. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारकत तहसीलदार समदडी

दावा बाबत धारा 53,188 रा.का.अधिनियम हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 24/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हाजिर वादीगण स्वयं व वादी अधिवक्ता श्री मुनीर अली पठान गिनजानिव मुहई प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, व वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा गांव मौजा रातडी तहसील समदडी में खसरा नम्बर 385 के 4/5 में वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात 24.08 बीघा खसरा नम्बर 207 के 2/5 हिस्सा में से वादी का हिस्सा 1/5 अर्थात 02.02 बीघा, खसरा नम्बर 142 व 321 के 2/5 में से वादी का हिस्सा 1/5 अर्थात 01.08 बीघा खसरा नम्बर 198 व 243 में वादी का हिस्सा 1/5 अर्थात 06 बीघा 01 विस्वा 01 विस्वांसी का मौके पर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करते हुए विभाजन करने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार समदडी मौके पर वादीगण व प्रतिवादी के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करे।

सम्बत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.02.18 को जारी की गई।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)

सहायक कलक्टर

(SDO) सिवाना

दिनांक :- 26/02/18

(अन्जुम ताहिर सम्मा)

सहायक कलक्टर

(SDO) सिवाना

क्रमांक: वाचक/2018/ 285

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, समदडी।